

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[फोन नं. 07152 - 230902]

[वेबसाइट : www.hindivishwa.org]

निविदा सूचना

Tender No. : MGAHV/CD/34/2026-27/03

Date : 09.09.2026

विश्वविद्यालय परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के समीप झेरॉक्स की दुकान व कॉफी वेंडिंग मशीन तथा नजीर हाट स्थित दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 18/09/2026 अपराह्न 04:00 बजे तक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा की विस्तृत/अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org का अवलोकन किया जा सकता है।

कादर नाज़
कुलसचिव
09/9/26



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के समीप झेरॉक्स की दुकान व कॉफी वैंडिंग मशीन तथा नज़ीर हाट स्थित दुकानों के आवंटन हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. ₹ 500 की डी.डी. (आवदेन शुल्क) (अप्रतिदेय)

वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
महाराष्ट्र के नाम देय

2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

3. FSSAI प्रमाण पत्र

4. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।

5. महाराष्ट्र Shop Act प्रमाणपत्र

6. प्रत्येक माह बिल भुगतान

बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिल का भुगतान
वित्त विभाग में करना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता का पूरा नाम-

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- राज्य -
- पिन कोड-
- मोबाइल क्रं.-
- ई-मेल-

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय परिसर में आबंटित की जाने वाली कैटीन/दुकानों विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	आबंटित की जाने वाली कैटीन/दुकानों का नाम/ क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)
01.	मसि-कागद (01)	184.42
02.	झकाझक (02)	118.79
03.	सर्वोदय (03)	118.79
04.	रोजमर्रा (05)	150.64
05.	पोथी (06)	150.64
06.	लिबास (07)	129.12
07.	कन्दमूल (08)	129.12
08.	गोरस (09)	129.12
09.	कुंतल (12)	86.08
10.	आपूर्ति (13)	184.42
11.	केंद्रीय पुस्तकालय के समीप झेरोक्स दुकान व कॉफी वेंडिंग मशीन	120.00

सामान्य शर्तें :

1. दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन/निविदा दिनांक **18.09.2026** अपराह्न 04:00 बजे तक स्वीकार की जायेगी।
2. तकनीकी (Technical) एवं वित्तीय निविदा (Financial bid) के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर लिफाफे पर **“दुकान हेतु निविदा”** स्पष्ट लिखा हुआ हो। सभी लिफाफों पर मोबाइल नंबर, फर्म का नाम एवं पता लिखना अनिवार्य है।
3. निविदा को कुलसचिव कार्यालय में रखे निविदा बाक्स (Tender Box) में डालना होगा।
4. दुकान का आवंटन प्रथमतः 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों (विश्वविद्यालय एवं आवंटी) की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 03 (तीन) वर्ष की अवधि (प्रति वर्ष 5% किराए में वृद्धि का प्रावधान) तक बढ़ाया जा सकता है।
5. दुकान हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD. की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह आबंटी द्वारा देय होगी।
6. पानी शुल्क दुकानों हेतु ₹ 100/- (रुपया एक सौ मात्र) प्रति माह की दर से आबंटी द्वारा देय होगा।
7. दुकान अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुली रखनी होगी।
8. विश्वविद्यालय परिसर में आवंटित की जाने वाली कैंटीन/दुकानों का लाइसेंस शुल्क न्यूनतम ₹ 5.00 (₹ पाँच मात्र) वर्ग फीट प्रति माह निर्धारित है।
9. आवंटित दुकानों को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम, वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों आदि का पालन करना अनिवार्य है। दुकान में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन दुकान आबंटी द्वारा सुनिश्चित कराना होगा।
10. आबंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में दुकान का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए दुकान खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की बिक्री/व्यवसाय करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
11. जिस उद्देश्य के लिए दुकान चाहिए, उसका, आवेदन में स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
12. किसी भी रूप में मादक या नशीले पदार्थों (यथा-शराब, गांजा, सुर्ती, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट आदि) की बिक्री या वितरण करना कानूनन अपराध होगा।
13. सुरक्षा राशि के रूप में आवंटन के समय आबंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों

के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि लौटायी नहीं जाएगी।

14. नियमित रूप से दुकान खोलना होगा।
15. दुकान में उपलब्ध सामग्रियों का बिक्री मूल्य स्थानीय बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
16. दुकानों के अंदर एवं आस-पास के परिसर की सफाई तथा कूड़े (सूखा एवं गीला) का निस्तारण सभी दुकानदारों को मिलकर करना/कराना होगा।
17. आवंटी को अनुबंध ₹ 500.00 (पाँच सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। इसके लिए होने वाला व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा। अनुबंध/निविदा की शर्तों का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा।
18. उक्त किसी भी शर्त/निविदा में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय कभी भी 01 माह की लिखित पूर्व सूचना देकर कैंटीन/दुकान खाली करवा सकता है।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
20. समस्त विवाद वर्धा न्यायालय के परिक्षेत्र के अधीन होंगे।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान :

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

वित्तीय निविदा

कैंटीन/दुकान का नाम/ क्रमांक	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट प्रति माह	कैंटीन/दुकान के किराए की दर @ ₹ प्रति वर्ग फीट प्रति माह	दुकान लेने का उद्देश्य
		₹ 5.00		
		₹ 5.00		

निविदाकर्ता का पूरा नाम -

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- राज्य -
- पिन कोड-
- मोबाइल नं.-
- ई-मेल-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर